

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

फ़ा. 171/70 अं. 310 दि. 0

दिनांक 16-8-17

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के अधिकार या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्री. आनंद कुमार सिंह

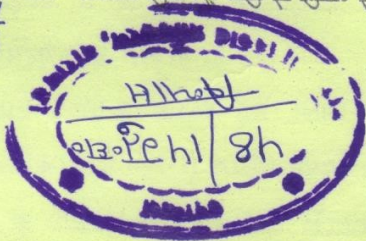
पुनः एच. एच. ए. सिंह

पिता/पति का नाम श्री. आनंद कुमार सिंह संख्या अ. 1489/199 मौजा सरावा

वाड़ में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो धारणा पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपपक्ष के विनिर्दिष्ट भवन विन अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

भूदर

दिनांक 20



वाराणसी विकास प्राधिकरण
जनल अधिकारी
14817
4.8.17
A.C.

नोट : 1- यह स्थापना पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इसमें आवश्यक न हो तो उपपक्ष द्वारा नोट : 1- यह स्थापना पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इसमें आवश्यक न हो तो उपपक्ष द्वारा न

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बड़ाकर प्रोत्तेशन जैसे कि पोटिको, बारवा, तोड़ा, सीढ़ी, झूँप नये अथवा पुराने निर्माण को लोडकर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्थापना याह उसके साथ नक्शे में दिखाई गी है, नहीं अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई है) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा सीध कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरमत कवाकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को संतोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपपक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- धारणी को नियमानुसार उपपक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नष्ट, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हानि प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करे।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विरुद्ध कर दिया जायेगा जिसका कोई हानि नहीं दिया जायेगा।